कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

संख्या : 124/XV दिनांक : 08–05–2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1093/iv-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 07 मई, 2020 के माध्यम से विभिन्न जोन के अन्तर्गत आने वाले जिलों के अधीनस्थ न्यायालय के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर से आख्या आहूत की गयी।

जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की आख्या के अनुसार विद्यमान परिस्थितियों में जनपद न्यायालय, गाजीपुर का परिसर containment zone की परिधि में है।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित पत्रांक के माध्यम से प्राप्त दिशा–निर्देश तथा जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की आख्यानुसार जनपद न्यायालय, गाजीपुर का परिसर containment zone की परिधि से बाहर आने तक के लिए जनपद गाजीपुर के समस्त दीवानी न्यायालय अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

समस्त संबंधित को सूचित किया जाए। इसके साथ ही आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाए कि वह उपरोक्त आदेश को स्थानीय अधिकृत मीडिया के माध्यम से प्रकाशन कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। इस आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अविलम्ब चस्पा की जाए।

Raghvendra 8/5/20

(राघवेन्द्र)
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

दिनॉक : 08–05–2020

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर

Scanned with CamScanner